

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

फैक्स
स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक

'2015

विषय:- माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके विश्वविद्यालय अन्तर्गत नवअंगीभूत महाविद्यालयों के संदर्भ में वर्ष 1986 से 1988 तक के डिग्री स्तर के कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय के सभी विषयों की परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों की विषयवार संख्या की सत्यापित विवरणी सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 284 (स0प0को0) दिनांक 02.06.2015 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या-12591/2010 कृष्णानन्द यादव एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में चतुर्थ चरण में हुए अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा सामंजन के मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग के द्वारा की जा रही है । इस क्रम में सिन्हा आयोग द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके विश्वविद्यालय अन्तर्गत नव अंगीभूत महाविद्यालयों यथा (1) शेरशाह कॉलेज, सासाराम (2) ग्राम भारती कॉलेज, रामगढ़ तथा (3) महिला कॉलेज, डालमियानगर का वर्ष 1986 से 1988 तक के डिग्री स्तर के कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय के सभी विषयों की परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों की विषयवार संख्या की सत्यापित विवरणी सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इससे संबंधित टेबुलेशन रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न) परन्तु वांछित सूचना आज की तिथि में अप्राप्त है ।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित विवरणी की सॉफ्ट कॉपी तथा इससे संबंधित टेबुलेशन रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सम्पर्क पदाधिकारी कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक ...19.6.15 2015

स्पीड पोस्ट

ज्ञापक-15/एम1-165/2014 ...11.7.15

प्रतिलिपि:- कुलसचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

19/6/15

पत्रांक-15/एम1-165/2014 - 284 (4040)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के० सैथिल कुमार

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कुलसचिव

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

फैक्स
स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक 02/06/2015

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०(सिविल) संख्या-12591/2010 कृष्णानन्द यादव एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित न्यायादेश से गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके विश्वविद्यालय अन्तर्गत नव अंगीभूत महाविद्यालयों के संदर्भ में वर्ष 1986 से 1988 तक के डिग्री स्तर के कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय के सभी विषयों की परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों की विषयवार संख्या की सत्यापित विवरणी सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या-12591/2010 कृष्णानन्द यादव एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में चतुर्षु चरण में हुए अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षककेन्द्र कर्मियों के सेवा सम्मंजन मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग के द्वारा की जा रही है। इस क्रम में सिन्हा आयोग द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके विश्वविद्यालय अन्तर्गत नव अंगीभूत महाविद्यालयों यथा (1) शेरशाह कॉलेज, सासाराम (2) ग्राम भारती कॉलेज, रामगढ़ तथा (3) महिला कॉलेज, डालमियानगर का वर्ष 1986 से 1988 तक के डिग्री स्तर के कला/ विज्ञान/ वाणिज्य संकाय के सभी विषयों की परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों की विषयवार संख्या की सत्यापित विवरणी सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसके संबंधित टेबुलेशन रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सम्पर्क पदाधिकारी कोषांग, शिक्षा विभाग, पटना को उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(के० सैथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 02/06/2015

ज्ञापांक-15/एम1-165/2014 - 284 (4040)

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- कुलपति, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

02/06/15